www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 01.02.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में कृषि सहायक एवं प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 30,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा परतूर, जलना (महाराष्ट्र) के कृषि सहायक एवं प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने जलना (महाराष्ट्र) के किसान से प्राप्त शिकायत पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा परतूर, जलना के कृषि सहायक एवं प्राइवेट व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दिनांक 31.01.2017 को मामला दर्ज किया। शिकायत में ऐसा आरोप था कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा परतूर, जलना के कृषि सहायक एवं प्राइवेट व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से ड्रिप सिंचाई के लिए उसके 3.60 लाख रू. के कृषि ऋण हेतु 30,000 रू. की घूस की माँग की।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 30,000 रू. की घूस राशि की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी व्यक्तियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में तलाशी की गई।

गिरफ्तार आरोपियों को आज विशेष न्यायाधीश की अदालत, जलना (महाराष्ट्र) के समक्ष पेश किया जा रहा है।

****